



शैली जमाबन्दी के आधार पर समूह आधारित प्रयोजनों के लिए निजी सत्तोदती

संजना के अन्तर्गत भूमि का

एकल पददा-वितोख

यह प्रस्तावना जो आज दिनांक 30/1/2012 को, आचार्य/विश्वे-पुत्र संस्था 1877 स्मृति 2012 को राजस्थान
राज्य के मुख्यपाल जिन्हे इसके मर्यादा सारका यह वह सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर गैस रिडी-सिडी अफाफो मेरस
प्रत्यक्ष रूप से बचिनी नीलकण्ठे अनेकुरी की भी दी जायेगी जेकर पुत्र/पुत्री ही लक्षण का होवेगा
जाति सिद्धि..... लगभग व्यापा..... निवासी 20/1/13 कछेर पंच-मेरसलेवर अफाफो
[जिनको इसके मर्यादा परदेहा कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बात में तहाँ कहीं प्रमाण से जैसा शर्ष निकाले, उनके उद्देश्यकारी,
निर्देशक, प्रवक्ता, प्रतिनिधि और मुत्तकील वालीर भी सामेलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

[illegible]

1. उक्त भूखण्ड सहरी जमानवी (लीज होल्डर) पर पुनः आधारित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. गट्टेदार द्वारा जयशम विभवस आशिकरण, जयपुर के कार्यालय में यह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निम्न अन्य स्थान पर नियमन कर 15.1.2003 रूपसे प्रति वर्ष एक से कुल नियमान राशि ₹ 56,10/- शर्तों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग रूपसे देय होती है जो पालान में 15.1.2003 दिनांक 15.1.2003 से आठ वर्षों तक राशि ₹ 56,10/- शर्तों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग रूपसे देय होती है जो पालान में 15.1.2003 दिनांक 15.1.2003 से जमा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग
3. उक्त भूखण्ड पर उपयोग ग्रुप हाउसिंग हेतु किया जावेगा। भूखण्ड का अन्य गिनत उपयोग किसी भी भाँति नहीं किया जा सकता। प 2001 के भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-99 क्रमांक पं. (3) नं. वि.वि/3/99 भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रवक्त शिथिलता के तहत निम्नलिखित श्रेणी निर्माण किया गया है तथा विषयवस्तु निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यागारी की जायेंगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे।
4. इस लीज होल्ड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिद्धार्थ बैंक/राज्य जलदायी संस्था/ एच.डी.एफ.सी. अथवा गेजल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत कणकारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के काम के लिए गिरवी रखा जा सकता।
5. गट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो गिरवी गद में निर्दिष्ट आशय के अंगण है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। गट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं शर्तों, श्रृंगुण्ड दस्ता (डिपोजिट ऑफ आरका रीकड, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
सर्वभूतहितं कुरुते सर्वदा
सर्वभूतहितं कुरुते सर्वदा
सर्वभूतहितं कुरुते सर्वदा

10-5-7, 12 Dec

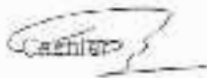
Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR IV
JAIPUR

(Rule 75 & 131)

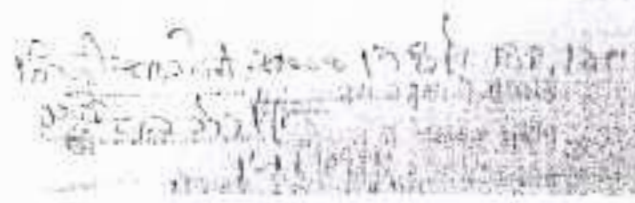
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2012398000874	Date	02.02.2017
Presenter Name	ASHOK MEWADA	Document S. No	2012398000816
Presenter/Property Address	P.NO-20/103, KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR RAJ. AS AUTHO. SIGN. M/S RIDHISIDHI INFRAPROJECTS PVT.LTD.		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claimant Name	JDA	Payment Mode	Cash
Face Value	3304108	Evaluated Value @	Stamp Value 165720
Ord-registration fee	11050	commission	0
csi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandum)	0	reg(memorandum)	6
Penalty	0	us_h/	0
stamp duty	0	Surcharge	16572
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection fee	0
		Total:	49872

Forty Nine Thousand Eight Hundred Seventy Two Only



Sub Registrar JAIPUR-IV



आम श्री/श्रीमती/शुभ्री (I execute)

1- ASHOK MEWADA / LAXMAN LAL MEWADA
उम्र - 40 वर्ष जति - HINDU, व्यवसाय - BUSINESS
निवासी - P.NO 20/193, KAVERI PATH MANSAROVAR
JAIPUR (RAJ). AS AUTH. SIGN. M/S (DHOTI SIDI)
INFRAPROJECTS PVT. LTD.

Signature

Photo

Thumb



(And Character)

1-JDA

उम्र - 0 वर्ष जति - null व्यवसाय - RUST
निवासी - JAIPUR



ले लेखन Lease deed for local bodies (Patta) को पद
रुप व मसुदा लेखन करवा स्वीकार किया। प्रतिफल
पक्षी नं 3304404/- पद श्री/श्रीमती/शुभ्री से रुप
3304404/- पद श्री/श्रीमती/शुभ्री से रुप
किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/शुभ्री DHARMAPAL CHOUDHARY
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री B.R. CHOUDHARY
उम्र - 37 वर्ष जति - JAT व्यवसाय - BUSINESS
निवासी 141, SANSKAR VIHAR SIRSI ROAD,
JAIPUR, RAJ.



ये श्री है जिले रामदा हस्ताक्षर एवं अंगुलि के निशान से
समझ लिये गये हैं।

(2012398000816)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीकृत JAIPUR-IV

आज दिनांक 2/2/2012 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 250

श्री/श्रीमती/शुभ्री नं 118 क्रमा संख्या 2012398000488 पर

पंजीकृत किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 999

के पृष्ठ संख्या 216 से 235

पर हस्ताक्षर किया गया।

(2012398000816)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीकृत JAIPUR-IV



0035 052525

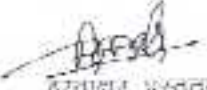


दिनांक १९५१/१८०/१३५
 श्री १९५१/१८०/१३५
 श्री १९५१/१८०/१३५
 श्री १९५१/१८०/१३५

सचिव
 श्री १९५१/१८०/१३५
 सचिव

3

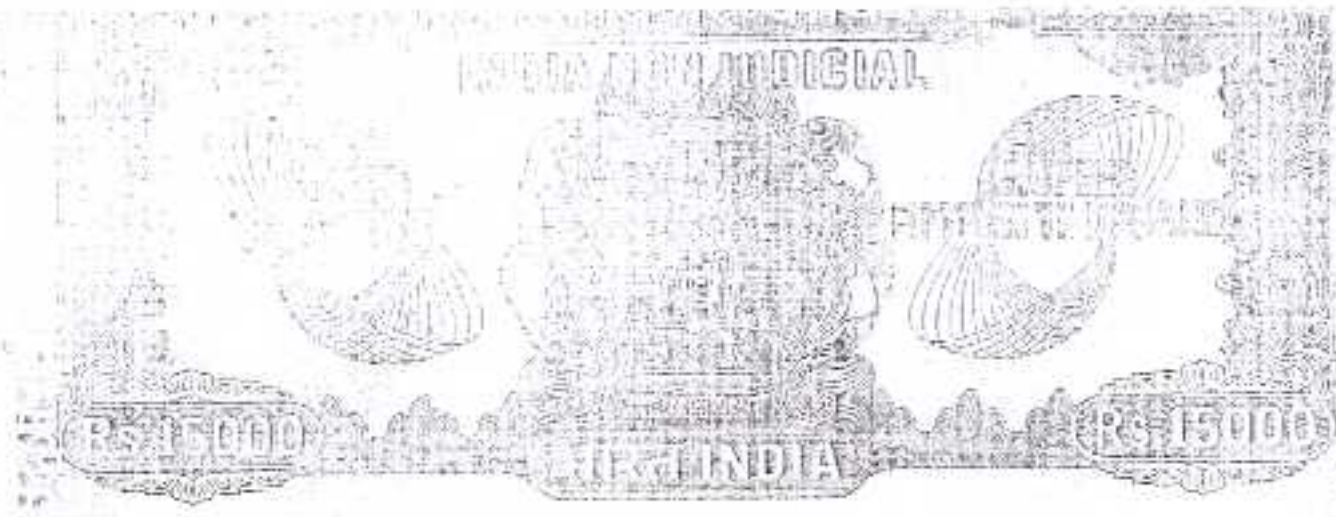
आज दिनांक 2 माघ, फाल्गुनी संवत् 2012 को 03:55 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK MEWADA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMAN LAL MEWADA
 उम्र 40 वर्ष, जाति HINDU व्यवसाय BUSINESS
 निवासी P.NO-20/193, KAVERI PATH MANSAROVAR JAIPUR RAJ. AS
 AUTHD. SIGN. M/S RIDHI SIDDHI INFRAPROJECTS PVT.LTD.
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।


 हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 (2012398000816)
 (Lease deed for local bodies (Patta))


 हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAIPUR-IV

रसीद नं०	[2012398000824]
दिनांक	[2-2-2012]
पंजीयन शुल्क रु०	33050
प्रतिनिधि शुल्क रु०	0
पञ्चकल शुल्क रु०	300
अन्य शुल्क रु०	16522
कमी स्वाम्य शुल्क रु०	0
कुल योग रु०	49872

(2012398000816) उपपंजीयक, JAIPUR-IV
 ((Lease deed for local bodies (Patta)))



DATE 11/05/2011



प्रतिपत्र सं. 155/150/137
15/05/11
Bt 10/11
Bt 55/11
15/05/11

3
प्रतिपत्र (प्रमाणित)
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित

493
[Faint handwritten notes and lines]

200 100 100
[Faint handwritten notes]

100 100 100
[Faint handwritten notes]

1
T



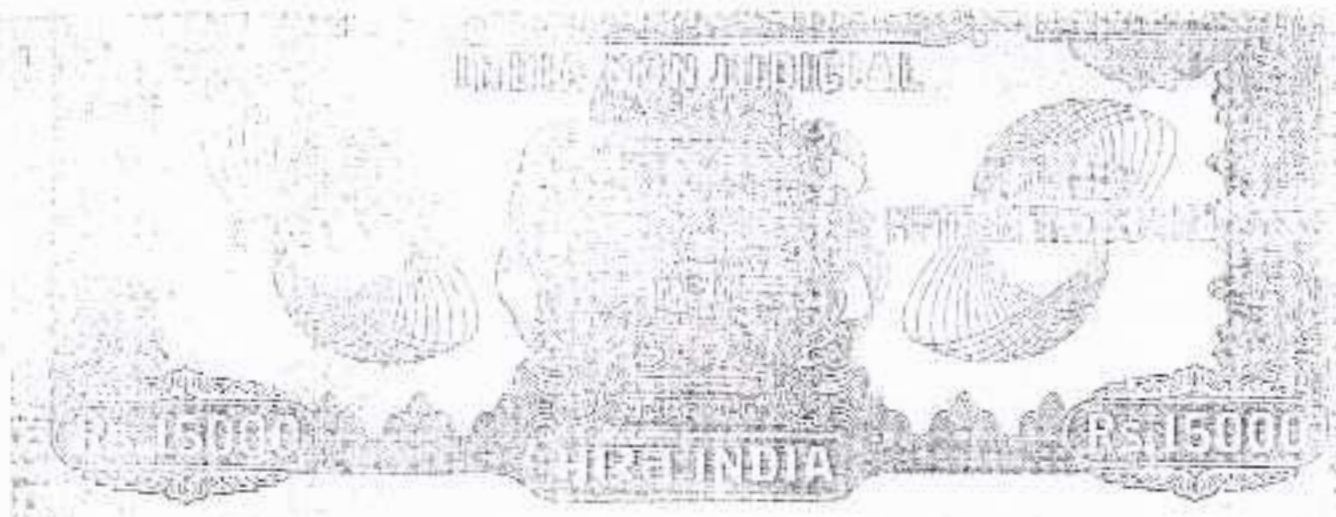
0000 052521



दिनांक २०/०५/१९८६ ई. १३६, १३८
अथवा २०/०५/१९८६ ई. १३६, १३८
— दिनांक २०/०५/१९८६ ई. १३६, १३८
दिनांक २०/०५/१९८६ ई. १३६, १३८
दिनांक २०/०५/१९८६ ई. १३६, १३८

अथवा २०/०५/१९८६ ई. १३६, १३८
अथवा २०/०५/१९८६ ई. १३६, १३८

७



9008 859329



दिनांक १२/०५/७६
 श्री १०००/७६
 दिनांक १०/०५/७६
 दिनांक १०/०५/७६
 दिनांक १०/०५/७६

उपर्युक्त एवं अधोलिखित संकेतों से
 दिनांक १०/०५/७६
 अथवा दिनांक १०/०५/७६

३



0089 052529



विद्यार्थी-संख्या-180, 135

विद्यार्थी-संख्या-180, 135
 दिनांक 1/8/35
 विद्यार्थी-संख्या-180, 135
 दिनांक 1/8/35

विद्यार्थी-संख्या-180, 135
 दिनांक 1/8/35
 विद्यार्थी-संख्या-180, 135
 दिनांक 1/8/35

3

विद्यार्थी-संख्या-180, 135
 दिनांक 1/8/35
 विद्यार्थी-संख्या-180, 135
 दिनांक 1/8/35

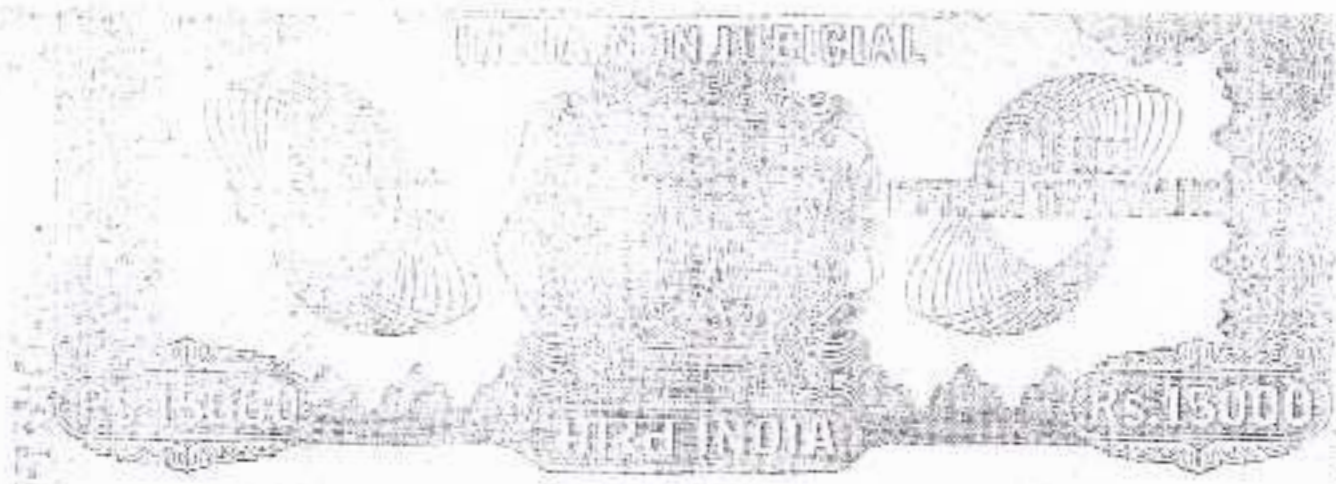


1000 05 300



दिनांक १७/६/५९
 बंगलूर
 पोस्टाधिकारी
 बंगलूर
 १७/६/५९
 बंगलूर
 बंगलूर
 बंगलूर
 बंगलूर

३
 बंगलूर
 बंगलूर



000B 0520



दिनांक २०००/०८/१८
 प्रमाणित
 १३/११/२००५
 १६२२०५१०
 १६२२०५१०

३
 (संलग्न)
 प्रमाणित

INDIA NON ADJUDICIAL



1922 052581



किरी-रामदेवी स्वामी 17-8-188, 178

पुत्रा स्वामी-17
 पुत्रा स्वामी-17
 पुत्रा स्वामी-17
 पुत्रा स्वामी-17

पुत्रा स्वामी-17
 पुत्रा स्वामी-17
 पुत्रा स्वामी-17

3
 पुत्रा स्वामी-17
 पुत्रा स्वामी-17
 पुत्रा स्वामी-17



0086 032501



दिनांक २०/०५/२०१८
 प्रमाणित
 दिनांक १०/०५/२०१८
 दिनांक १०/०५/२०१८
 दिनांक १०/०५/२०१८
 दिनांक १०/०५/२०१८
 दिनांक १०/०५/२०१८
 दिनांक १०/०५/२०१८

3



0000 000000



दिनांक १५/११/५८
 प्र. नं. ११०५/५८
 १६/११/५८
 १६/११/५८
 समाप्त एवं संविधान प्राधिकारी
 संविधान
 संविधान प्राधिकरण, कलकत्ता

३
 (संविधान)
 संविधान प्राधिकरण



विनी रवा, दका २००० १९६१ १६० १७९

Post 10954
 Pat 13588
 165220410

विनी रवा, दका २००० १९६१ १६० १७९
 विनी रवा, दका २००० १९६१ १६० १७९
 विनी रवा, दका २००० १९६१ १६० १७९

3
 विनी रवा, दका २००० १९६१ १६० १७९
 विनी रवा, दका २००० १९६१ १६० १७९
 विनी रवा, दका २००० १९६१ १६० १७९



मि. सी. आर्. वार्ड - बंगलूर १८८ सि १८०, १८५

गुप्त कलेक्टरी - बंगलूर पोस्ट

कलेक्टरी १८५५
१८५५-५५५
१८५५-५५५

बंगलूर पोस्ट ऑफिस
पोस्ट-९
बंगलूर पोस्ट ऑफिस, बंगलूर

३
बंगलूर पोस्ट ऑफिस (बंगलूर)
बंगलूर पोस्ट ऑफिस, बंगलूर

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

50AA 472589



निम्नी खसतिगरे २०००० १३८ से १३९, १४०

सुविधा के लिए सहायकी छापीने

पत्रिका के लिए प्रमाण-समय

सर्वप्रथम प्रमाण-समय की योजना

१३८ से १३९, १४०

सर्वप्रथम प्रमाण-समय की योजना

१३८ से १३९, १४०

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

05AA 67556



नि. अ. २०२३, अ. २०२३, १७८ वि. १८०, १८१

சென்னை

1. Path 1000
 2. Path 500

[illegible]

7

Stamps and Registration Department
Office of The Sub Registrar Jaipur II

Jaipur

(Rule 75 & 131)

FOR RECEIPT

Doc Receipt No: 20020730/5277 Date: 10/06/2013
 Presenter Name: ANIL K. MEWADA Document C. No: 301052015386
 Description/Property: OFFICE 203 UJJWAL APARTMENT 4 BLOCK II K. RADHADAIPUR AS AUTH PERSON
 Address: OF M/S RISHI SIDDHANT P. P. LTD.
 Document Type: Sale Deed (Collateral deed)
 Claimant Name: SH. HANISHWAR VITAY MEDIA
 Face Value: 8000000 Evaluated Value: 88220000 Payment Mode: Cash
 Stamp Value: 4250000

Doc. registration fee	10000	commission	0
C.I. stamp 50000	300	custody	0
stamp (memorandum)	0	reg (memorandum)	0
Penalty	0	us. 57	0
stamp duty	32210	Surcharge	12621
us. 25.36	0	others	0
us. 64.67	0	Inspection fee	0
		Total:	516731

Counter



Sub Registrar JAIPUR-II

श्री राजीव कुमार शर्मा
जयपुर



INDIA NON JUDICIAL
Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ00767616161891L
Certificate Issued Date	: 10-Jun-2013 08:07 PM
Account Reference	: SHCIL (FI) rjshcil01/EANI PAIRW/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRSHCIL0160700846597566L
Purchased by	: O R V DEVELOPERS
Description of Document	: Article 21 Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description	: GROUP HOUSING PLOT IN KH NO 175, 176, 179, 180, VILL - CHAK GETUR, TEH-SANGANER, DIST-JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	: 9,00,00,000 (Nine Crore only)
First Party	: RIDDHI SIDDHI INFRA PROJECTS P LTD
Second Party	: O R V DEVELOPERS
Stamp Duty Paid By	: O R V DEVELOPERS
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 42,60,000 (Forty Two Lakh Fifty Thousand only)



Please write or type below this line

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

जय प्रताप नगर वि. नि. वि.
जयपुर

0000944145

Disclaimer

1. The Government of Rajasthan, Jaipur, District Jaipur, Tehsil Sanganer, Village Chak Getur, hereby certifies that the above mentioned document is a true and correct copy of the original document.
2. The Government of Rajasthan, Jaipur, District Jaipur, Tehsil Sanganer, Village Chak Getur, hereby certifies that the above mentioned document is a true and correct copy of the original document.
3. The Government of Rajasthan, Jaipur, District Jaipur, Tehsil Sanganer, Village Chak Getur, hereby certifies that the above mentioned document is a true and correct copy of the original document.



यह विक्रय पत्र आज दिनांक 19 ग्राह जून वर्ष 2013 ईस्वी को जयपुर शहर में निम्न पक्षकारान के मध्य निम्न प्रयत्न लिखा व तस्दीक किया गया है:-

मैसर्स सिद्धि सिद्धी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., (कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी) पंजीकृत कार्यालय 201, उज्जवल अपार्टमेंट, 4 भूट जी की बारी, उदयपुर, जिनका आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या PAN No. AAIDCR5127K है, जसिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक मेवाड़ा आयु - 38 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मेवाड़ा, जिन्हें कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 07.03.2013 में पारित प्रस्ताव के तहत इस विक्रय पत्र का विष्पादन करने हेतु अधिकृत किया हुआ है- विक्रेता कम्पनी जिसे इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि कम्पनी के शेयर होल्डर्स, लिक्विडेटर्स, एजेन्ट्स, उत्तरायिका, प्रतिनिधि, स्वाभाविक, पारितान आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) की ओर से मैसर्स ओ. आर.वी. इन्फ्रा प्रा. लि. कागजीदारी फर्म कार्यालय उपासना हाऊस, फ्लॉट नम्बर बी-70, राजेन्द्र मार्ग, धामू नगर, जयपुर जसिये पार्टनर श्री जोग माहेश्वरी आयु-55 वर्ष पुत्र स्व. श्री जी.सी. माहेश्वरी एवं श्री विजय केडिया आयु-50 वर्ष पुत्र श्री मोती चन्द केडिया क्रेता-भागीदारी फर्म जिसे इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द द्वितीयपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि द्वितीय पक्ष के भागीदार, एजेन्ट्स, प्रतिनिधि, स्वाभाविक आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) के हित में निम्न प्रकार लिखा व तस्दीक किया जा रहा है।

(Signature)
महामा

(Signature)

(Signature)

उप पंजीकृत द्वितीय
पक्ष

यह कि चाके शहर जयपुर यह कि चाके ग्राम चण्डीदेवर तहसील-सुभाकर व जिला जयपुर में निजी सार्वजनिक भूमि समूह सं 175, 178, 179 व 180 जिसका क्षेत्रफल दो भागों में विभक्त है प्रथम जिसको पार्ट-ए से सम्बंधित किया गया है का क्षेत्रफल 10954 वर्गमीटर व द्वितीय जिसको पार्ट-बी से सम्बंधित किया गया है का क्षेत्रफल 550 वर्गमीटर, जिनका दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल 11512.00 वर्ग मीटर स्थित है।

उक्त सम्पत्ति पार्ट-ए की चारों सीमाओं में

पूर्व की ओर :- अन्य की सम्पत्ति
पश्चिम की ओर :- अन्य की सम्पत्ति
उत्तर की ओर :- अन्य की सम्पत्ति
दक्षिण की ओर :- अन्य की सम्पत्ति व सेक्टर रोड 60 फीट

उक्त सम्पत्ति पार्ट-बी की चारों सीमाओं में

पूर्व की ओर :- अन्य की सम्पत्ति
पश्चिम की ओर :- प्लाट की त्रिभुजी सीमा,
उत्तर की ओर :- सेक्टर रोड 60 फीट
दक्षिण की ओर :- अन्य की सम्पत्ति

यह कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा शहरी जमाबंदी के आधार पर समूह आवासीय प्रयोजनों के लिए निजी सार्वजनिक सौलभा के अंतर्गत भूमि का एगल पट्टा बिलेज अंतर्गत/विक्रय पत्र संख्या 15039/2012 दिनांक 30.01.2012 प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी के हित में जारी किया गया है, जिस पट्टा बिलेज का पंजीयन उप पंजीयक जयपुर चतुर्थ के यहां पर क्रम संख्या 2012398000488, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 250 के पृष्ठ संख्या 118 पर दिनांक 2 फरवरी 2012 को हुआ है। इस प्रकार प्रथमपक्ष विक्रेता उक्त वर्णित सम्पत्ति पर एकमात्र मालिक, मालिक, स्वामी व अधिकारी है तथा जिस सम्पत्ति को हर प्रकार से रहन, विक्रय, व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वधिकार मालिकाना एक प्रथमपक्ष को प्राप्त है तथा प्रथमपक्ष ने किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा संस्था को रहन, गिरावट व अन्य रूप से हस्तान्तरित नहीं किया है, जो हर प्रकार के अणुकार, झगड़े-टण्टे वाद-विवाद आदि से पूर्णतया मुक्त थाक व साफ यह प्रतिज्ञा प्रथम पक्ष इस लेख पत्र में करता है व द्वितीयपक्ष को आश्वस्त करता है।

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता उक्त वर्णित सम्पूर्ण सम्पत्ति को एकमात्र मालिक, कब्ज, स्वामी व अधिकारी है तथा जिस सम्पत्ति को हर प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वतन्त्र अधिकार मालिकाना हक प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं तथा प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित प्लॉट को या उसके किसी भी भाग को आज तक किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा संस्था को रहन, विक्रय, बख्शीश व अन्य रूप से हस्तान्तरित नहीं किया है जो हर प्रकार के ऋणभार, झगड़े-रूटे वाद-विवाद आदि से पूर्णतया मुक्त पाक व साफ है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता कंपनी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जगहों की आवश्यकता होने के कारण प्रथमपक्ष ने बाके शाम चकरोडेर तहसील-सांगनेर व जिला जयपुर में निजी सातेदारी भूमि खसरा सं 175, 178, 179 व 180 जिसका क्षेत्रफल दो भागों में विभक्त है प्रथम जिसको पार्ट-ए से सम्बोधित किया गया है का क्षेत्रफल 10954 वर्गमीटर व द्वितीय जिसको पार्ट-बी से सम्बोधित किया गया है का क्षेत्रफल 558 वर्गमीटर, जिनका दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल 11512.00 वर्ग मीटर जिसको एक प्रकार से समझने के लिये इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दिखाया गया है तथा जो मानचित्र भी इस विक्रय पत्र का एक अभिन्न हिस्सा रहेगा को भव लम्बे हुए बिजली के कनेक्शन व डिपोजिट सिक्यूरिटी राशियों, बोरिंग आदि सहित, सब उसके कुल स्वत्वों व अधिकारों आदि सहित बिना रखे उक्त सम्पत्ति में अपना किसी प्रकार का कोई हक व अंश के कुल मुखलिय राशि 9,00,00,000/-रुपये (अक्षरे जो करोड़ रुपये मात्र) में द्वितीयपक्ष को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय गृहपूजन की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है :-

क्र.सं.	चैक नम्बर/नकद	दिनांक	राशि रुपये	बैंक का नाम
1.	066124	25.2.2013	10,00,000.00	Union Bank of India
2.	066125	11.3.2013	20,00,000.00	Union Bank of India
3.	237455	01.09.2013	2,90,00,000.00	Union Bank of India
4.	237456	10.09.2013	2,90,00,000.00	Union Bank of India
5.	237457	20.09.2013	2,81,00,000.00	Union Bank of India
6.	राशि 9,00,00,000/-रुपये अक्षरे जो लाख रुपये आठकर विभाग के अधिनियम 194-IA के तहत प्रथमपक्ष के रूपायी जाता संख्या PAN No. AADCR5127K के लिये द्वितीयपक्ष ने कौन टीडीएस के काट लिये है, जो राशि द्वितीयपक्ष आचकर विभाग में जमा करता कर चालान भी प्रति प्रथमपक्ष को उपलब्ध करता देवे, जिस राशि को प्रथमपक्ष विक्रय प्रतिफल में प्राप्ता होने स्वीकार करते है।			
कुल			9,00,00,000.00/-	

उप संजीवक हितोम
जयपुर

[Signature]

[Signature]

[Signature]



श्री
(201302017341) in (201302017341)
State Road (Conveyance Road) (201302017341)
श्री

श्री
(201302017341) in (201302017341)
State Road (Conveyance Road) (201302017341)
श्री

श्री
(201302017341) in (201302017341)
State Road (Conveyance Road) (201302017341)
श्री

श्री
(201302017341) in (201302017341)
State Road (Conveyance Road) (201302017341)
श्री



इस प्रकार से प्रथमपक्ष कम्पनी ने द्वितीयपक्ष से उक्तानुसार विक्रय मूल्यपत्र की सम्पूर्ण राशि 9,00,00,000.00/- (अक्षरे में नौ करोड़ रुपये) प्राप्त कर ली है जिसकी प्राप्ति की पुष्टि प्रथमपक्ष इस विक्रय पत्र में करता है तथा अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से उक्त विक्रय मूल्यपत्र की राशि में से कुछ भी लेना बाकी नहीं रहा है।

यह कि विक्रय की गई सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को जीके पर करवा दिया है, अब द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति पर एकमात्र मालिक, कर्तव्य, स्वामी व अधिकारी हो गया है व रहेगा। अब द्वितीयपक्ष बहसियत मालिक जिस प्रकार से भी चाहे सम्पत्ति को अपने उपयोग एवं उपभोग में लेवे, उसमें किसी प्रकार का एंजिशन आन्दोलन करवे, नया निर्माण कार्य करवे, प्लेट्स बनावे, कॉन्ग्रेस जयपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों में उक्त सम्पत्ति को अपने नाम से हस्तान्तरित करवे, पानी व बिजली के कनेक्शन स्वयं के नाम हस्तान्तरित करवे, नये कनेक्शन प्राप्त करे, स्वयं रहे, किसबंदार रखे तथा हर प्रकार से रहन, विपणन, बख्शीश एवं हस्तान्तरित आदि कर फायदा उपवे। अब विक्रय किये गये उक्त प्लॉट से प्रथमपक्ष व या उनके किसी भी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानापन्नों, वारिजानों आदि का किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है व ना ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय की गई सम्पत्ति के बाबत अगर आज से पूर्व का किसी प्रकार का कोई ऋणशर, दण्डा, लण्ड, वाद विवाद आदि किसी प्रकार का सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या जन साधारण आदि का बकाया निकलेगा तो उनकी अदायगी व निस्तारण की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी। अगर कोई व्यक्ति, बैंक या संस्था आदि इस विक्रय के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति करेंगे या प्रथमपक्ष के मालिकाना अधिकारों में किसी प्रकार की चुट्टि निकलेगी जिससे द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की क्षति होगी तो इन सब प्रकार की आपत्ति व चुट्टियों का निपटारा प्रथमपक्ष अपने स्वयं के हर्ष एवं खर्च से करेगा, द्वितीयपक्ष का इन सब प्रकार की चुट्टियों से किसी प्रकार का कोई दायित्व व सम्बन्ध नहीं होगा।

यह कि इस विक्रय पत्र के पंजीयन आदि का समस्त खर्च द्वितीयपक्ष क्रेता के जिम्मे तय हुआ था और द्वितीय पक्ष क्रेता ने अपने पास से ही वहन किया है।

28/6
अधीक्षक-द्वितीय
जयपुर

28/6/2020
अधीक्षक-द्वितीय
जयपुर

28/6/2020
अधीक्षक-द्वितीय
जयपुर

28/6/2020
अधीक्षक-द्वितीय
जयपुर

यह कि उक्त प्लॉट के बाबत आज तक जो भी ठेक व अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वे सभी ठेक व अधिकार आज से द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये हैं व रहेंगे।

यह कि उक्त प्लॉट से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेजात प्रथमपक्ष से द्वितीयपक्ष को संभाला दिये हैं, अब द्वितीयपक्ष इस विक्रय पत्र द्वारा जारी की गई सम्पत्ति को सभी संबंधित कार्यालयों में अपने नाम से हस्ताक्षरित करवा लेवे, इसमें प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष या सदैव सहयोग करने के लिये बाबन्द रहेंगे।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष ने स्वस्थ मित तथा स्थिरबुद्धि की अवस्था में बिना किसी जोर व जबर के स्वेच्छ से एक विना प्रॉक किया हुआ स्टाम्प कीमती रु. 43,500.000/- लाये व सोच विचार पाई पेपर पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे। इति। दिनांक 10/6/2013

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

सिद्धि सिद्धी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
जारीये अधिकृत प्रतिनिधि अशोक मेवाड़ा,

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

ORV Development

[Signature]
Prabhat

[Signature]

मैसर्स ओ.आर.वी. डेवलपर्स
जारीये पार्टनर

गवाह 1. *[Signature]*

गवाह 2. *[Signature]*
गवाह 3. *[Signature]*
गवाह 4. *[Signature]*
गवाह 5. *[Signature]*

गवाह 6. *[Signature]*
गवाह 7. *[Signature]*

Neelkeet Kohli
C/O DR J. K. Kohli
C 71 Easth Colony 2011



राशोधन-प.३

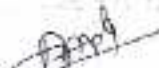
यदि संशोधन आज दिनांक 15/10/13 ईस्वी को जयपुर नगर में निम्न पक्षकारान के सच्य निम्न प्रकार लिखा एवं तस्दीक किया गया है :-

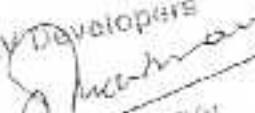
मैसर्स रिट्टी सिट्टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी) पंजीकृत कार्यालय 201, उज्जवल अपार्टमेन्ट 4, भट्ट जी की बाड़ी उदयपुर, जिनका आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई स्थाता संख्या PAN No. AADCR5127K है जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक मेवाड़ा, आयु-39 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मेवाड़ा जिन्हे कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 10/10/2013 में पारित प्रस्ताव के तहत इस संशोधित पत्र का निष्पादन करने हेतु अधिकृत किया हुआ है (विकेता)(प्रथम पक्ष) जिसे इस विलेख में आगे चलकर शब्द प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जिसमें कम्पनी के निदेशक, अशंघारी, ऐजेन्डरा, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मलित समझी जावेगें)

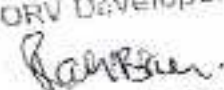
एवम

मैसर्स ओ आर वी डवलपर्स एक भागीदारी फर्म (भागीदारी अनुबंध दिनांक 10.11.2012 के तहत गठित एक भागीदारी फर्म) कार्यालय बी-70, राजेन्द्र मार्ग, बापु नगर, जयपुर जरिये पार्टनर श्री ओम माहेश्वरी आयु 57 वर्ष पुत्र स्व. श्री जी.सी. माहेश्वरी एवं श्री रामबाबू अग्रवाल आयु-56 वर्ष पुत्र स्व. श्री ब्रज मोहन सराफ (केता) (द्वितीय पक्ष) भागीदारी फर्म जिसे इस विलेख में आगे चलकर शब्द द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है (जिसमें कि द्वितीय पक्ष के समस्त भागीदार, ऐजेन्डस, प्रतिनिधि स्थानापन्न, आदि भी सम्मलित समझी जावेगे)

पंजीयक द्वितीय पक्ष
जयपुर


Part. Name Signature

ORV Developers

Partner

ORV Developers

Partner

संशोधन पत्र उपरोक्त पक्षकारों द्वारा निम्न प्रकार आपसी सहमति से लिखा एवं किया जा रहा है।

जो कि प्रथम पक्ष ने अपने स्वामित्व व अधिकार का एक प्लॉट (समूह आवासीय प्रायोजनों के लिए) जो कि खसरा नं. 178, 179, 180 एवं 175 गांव बकगैटोर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है तथा जिसका क्षेत्रफल 11512 वर्गमीटर का है जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 को कुल विक्रय मूल्य रुपये 9,00,00,000/- (अक्षरों नौ करोड़ रुपये मात्र) में द्वितीय पक्ष को विक्रय कर गिनालिखित बैंक प्राप्त कर लिये थे।

क्र.सं.	चैक नं.	दिनांक	राशि	बैंक का नाम
1	065124	25.02.2013	10,00,000/-	
2	065125	11.03.2013	20,00,000/-	
3	0237455	01.09.2013	2,90,00,000/-	
4	0237456	10.09.2013	2,90,00,000/-	
5	0237457	20.09.2013	2,81,00,000/-	
6	TDS पेते सोके		9,00,000/-	
		कुल	9,00,00,000/-	

(उपरोक्त राशि में से कम संख्या 6 पर अंकित रुपये 9,00,000/- (अक्षरों नौ लाख रुपये) आयकर अधिनियम के तहत द्वितीय पक्ष ने बतौर TDS के काट लिए हैं जो कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के PAN No. AADCR5127K के पेते जमा करवाकर चालान की प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करता देगा।)

उपरोक्त विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 उम पंजियक द्वितीय के क्रमांक 2013052007251 पर दिनांक 10.06.2013 को पंजीकृत है।

जो कि उपरोक्त वर्णित विक्रय प्रतिफल में से संख्या 1 से संख्या 4 पर दर्ज विक्रय प्रतिफल के चेक प्रथम पक्ष ने अपने बैंक खाते में जमा करवाकर प्राप्त कर लिए हैं।

जो कि द्वितीय पक्ष ने सूचित किया है कि उन्होंने RHICO Ltd जयपुर में लोन के लिए आवेदन किया है तथा उनका लोन भी जरिये पत्र नं. ID.D1 (2118) दिनांक 07.10.2013 के स्वीकृत हो गया है। इसलिए उपरोक्त संख्या 5 पर अंकित बैंक नं. 0237457 रुपये 2,81,00,000/- का भुगतान द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को RHICO Ltd द्वारा स्वीकृत ऋण में से सीधे RHICO Ltd से दिलवाना चाहता है इसके लिए प्रथम पक्ष अपनी स्वीकृति द्वितीय पक्ष को प्रदान करता है।

जो कि अब प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बैंक नं. 0237457 दिनांक 20.09.2013 रुपये 2,81,00,000/- (अक्षरों दो करोड़ इक्यासी लाख रुपये मात्र) के बदले बैंक नं. 002910 दिनांक 15/10/2013 बैंक ICICI Bank Ltd द्वारा RHICO Ltd से सीधे प्राप्त कर लिए हैं तथा उसकी रसीद इसी संशोधन पत्र में दी जानी स्वीकार की जाती है तथा यह भी स्वीकार किया जाता है कि RHICO Ltd द्वारा किये गये उपरोक्त भुगतान को द्वितीय पक्ष द्वारा किया गया भुगतान माना जावेगा।

संजीवक द्वितीय
जयपुर

Joint Developers
Shah
Partner

Shah

R.R.A

आज दिनांक 15 मार्च 2017 को 09:31 PM को
 श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती ASHOK MEWARA द्वारा/द्वारा श्री LAXMAN LAL MEWARA
 को 19 मार्च, 2017 को HINDU व्यवसाय BUSINESS
 निवासी 201 UJJAWAL APT. BHATT JI KE BADI UDAIPUR RAJ AS REP. OF M/S RIDDHI
 SINGHLINE, P.LTD.
 के सारे सम्पत्ति वस्तुओं पर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रमुखकर्ता
 (2013052025769)
 (Supplementary deed/Correction Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक
 जयपुर
 जयपुर



रसीद नं०	(2013052025769)
दिनांक	15-10-2017]
पंजीयन शुल्क रु०	200
प्रतिनिधि शुल्क रु०	0
प्राथमिक शुल्क रु०	200
आम शुल्क रु०	0
कमी रचना शुल्क रु०	0
कुल योग रु०	400

(2013052025769) जयपुर, जयपुर-II
 ((Supplementary deed/Correction deed)) द्वितीय
 जयपुर



यह कि राशि नहीं रहता है तथा अब सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है।

यह कि द्वितीय पक्ष ने रुपये 9,00,000/- (अक्षरे रुपये नौ लाख मात्र) जो कि TDS पेटे काटे से जरिये चालान दिनांक 26.08.2013 को प्रथम पक्ष के PAN No AADCR5127K के बाबत आयकर विभाग में जमा करवाकर प्रथम पक्ष को चालान की प्रति उपलब्ध करवा दी है।

अब प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष से विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 के बाबत कोई लेना देना शेष नहीं रहता है।

यह कि इस संशोधन पत्र को पूर्व निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 पंजीयन क्रमांक 2013052007251 का ही एक भाग व पार्ट समझा जावेगा। इस संशोधन पत्र द्वारा पूर्व निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 के किसी भी शर्त या तथ्यों में कोई परिवर्तन इस प्रकार से नहीं हो रहा है जिससे मुद्रांक शुल्क प्रभावित होता हो।

यह है कि उपरोक्त बदलाव के अलावा (चैक नं. बदलाव) पूर्व निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 की किसी भी शर्त या लेख में कोई परिवर्तन नहीं किया है तथा वे यथावत व लागू रहेगी।

अतः यह संशोधन पत्र आज दिनांक 15/10/2013 दोनों पक्षकारों द्वारा अपनी अपनी स्वस्थ चित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी बहकावे व दबाव के स्वेच्छापूर्वक एक किता स्टॉम्प कीमती 100/- पर लिख दिया व समझ लिया है कि प्रमाण रहे व रागय रहते काग आवे।
इति दिनांक 15/10/2013

गवाह :-

मैसर्स रिट्टी सिट्टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
जरिये श्री अशोक मेवाड़ा
(प्रथम पक्ष)

1. *[Signature]*
[Signature]
B. D. Rajendra Singh
B. D. Rajendra Singh

2. *[Signature]*
D-32 J.P. Colony
Bulath Nagar Jaipur

[Signature]
मैसर्स ओ.आर.वी. डबलपर्स
जरिये श्री ओम माहेश्वरी

[Signature]
जरिये श्री रागबाबू अग्रवाल
(द्वितीय पक्ष)

[Signature]
उप पंजीयक द्वितीय
जायपुर



जन्म श्री/श्रीमती/शुद्धी (Execution)

Signature

Photo

Thumb

1-ASHOK MEWARA / LAXMAN LAL MEWARA
उम्र -39 वर्ष जति - HINDU, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 201 UDAIVAI APT. BHATTJI KI BADI UDAIPUR RAJ AS
REP. OF M/S KIDDINI SIDDHI INF. P.LTD.



(Add Claimant)

1-OM MAHESHWARI / LATE G.C. MAHESHWARI
उम्र -57 वर्ष जति - MAHESHWARI व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - B 70 RAJ NIDHA MARG BAPU NAGAR JAIPUR AS
PARTNER OF M/S O R V DEV.



2- RAMBABU AGARWAL / LATE BUD MOHAN SARAF
उम्र -56 वर्ष जति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - B 70 RAJ NIDHA MARG BAPU NAGAR JAIPUR AS
PARTNER OF M/S O R V DEV.



मे सेछाया Supplementary deed/Correction Deed को गठ चुन व
समस्तकर निष्पन्न करवा स्वीकार किया। प्रतिपादित वाणी मे

पूर्व श्री/श्रीमती/शुद्धी / मे से छः फुल मे
मेरे समस्त प्राप्त करवा स्वीकार किया।

अस निष्पन्न करवा स्वी पदमन

1- श्री/श्रीमती/शुद्धी DEVENDRA SHARMA
पुत्र गुरी लाल श्री RAM DAYAL SHARMA
उम्र -23 वर्ष जति -BRAHMIN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी D 32 J P COLONY BARKAT NAGAR JAIPUR.

2- श्री/श्रीमती/शुद्धी NARESH
पुत्र गुरी लाल श्री PURAN CHAND
उम्र -40 वर्ष जति -HINDU व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 414 K V JAWAHAR NAGAR DELHI BYE PASS, JAIPUR.



मे वी मे किया समस्त करवा एव उम्मीद मे निराम मेरे समस्त लिये
कये है।

(2013052025769)

Supplementary deed/Correction Deed

उपपंजीयक द्वितीय
जयपुर

आज दिनांक 15/10/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिला संख्या 872
मे पृष्ठ संख्या 94 प्रस संख्या 201305201235548
पंजिस्ट्र किया गया तथा अभिलेख
पुस्तक संख्या 1 जिला संख्या 3474
मे पृष्ठ संख्या 528 मे 534
मे करवा किया गया।

(2013052025769)

Supplementary deed/Correction Deed

उपपंजीयक द्वितीय
जयपुर



Land title page 3



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	201005200003081	Receipt Date	07 JAN 2015 17:25
S.R. Location	JAIPUR-II		
Receipt No	RJ1707251501577		
Name Of Seller	ORV DEVELOPERS		
Name Of Buyer	ARG CO DEVELOPERS LLP		
Type of Document	Sale Deed		
ACQ Reference	SHCIL/SHCIL, RAJASTHAN/BANI PARK		

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 50000	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50300	Service Charges	₹ 40
Grand Total	₹ 50340		
(Rupees Fifty Thousand Three Hundred Forty Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilstamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

✓

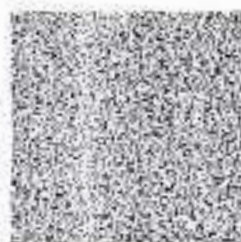


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	IN-RJ01600094471544N
Certificate Issued Date	06/08/2015 03:28 PM
Account Reference	SHCIL (IT/ rshcil01/ BAN) PARK/ RJ-3P
Unique Doc. Reference	SUBIN-RJ01SHCIL0101968302486003N
Purchased by	ARG C G DEVELOPERS LLP
Description of Document	Article 21 Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description	GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO 175, 176, 179 180 CHEK GATORE SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	11,25,00,000 (Eleven Crore Twenty Five Lakhs only)
First Party	ORV DEVELOPERS
Second Party	ARG C G DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Paid By	ARG C G DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	58,11,300 (Fifty Eight Lakh Eleven Thousand Three Hundred only)



Please write or type below this line

For ORV Developers

[Signature]
Authorised Signatory

For ORV Developers

[Signature]
Authorised Signatory

For ARG CG Developers

[Signature]
Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

XM 0001508599

Disputary Note:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.india-stamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate must be reported to the website immediately.

2. The authenticity of the certificate is on the basis of the certificate.



विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 7/1/2015 ईस्वी को जयपुर नगर में मैसर्स ओ.आर.वी. डवलपर्स (साझेदारी फर्म) कार्यालय उपासना हाउस, प्लॉट नम्बर बी-70, राजेन्द्र गार्ज, बापू नगर, जयपुर जारिये साझेदार श्री ओम माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री गोपीचन्द माहेश्वरी आयु 56 वर्ष एवं श्री विजय केदिरा पुत्र श्री मोतीचन्द केदिरा आयु 51 वर्ष-विक्रेता फर्म जिन्हें इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि उक्त फर्म के समस्त साझेदारगण, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न एवं वारिसाण आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) की ओर से मैसर्स एआरजी सीजी डवलपर्स एल.एल.पी. (सीमित दायित्व साझेदारी)

For ORV Developers
Authorized Signatory

For ORV Developers
Authorized Signatory

For ARG CG Developers LLP

Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

अधिनियम 2008 के अन्तर्गत पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी फर्म) कार्यालय ई-52, चितरंजन मार्ग, सी-स्क्रीमजयपुर जारेबे अधिकृत साझेदार श्री आत्माराम गुप्ता पुत्र स्व. श्री एल.आर.गुप्ता आयु 57 वर्ष, जाति महाजन, पेशा व्यापार, निवासी प्लॉट नम्बर 702, गांधी विला अपार्टमेंट्स, माधोसिंह सर्किल, बनीपार्क, जयपुर (राज.) - क्लेश फर्म जिन्हें इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द द्वितीयपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि उक्त फर्म के समस्त साझेदारगण, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न एवं वारिसाण आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) के हित में निम्नलिखित से लिखा व तस्दीक किया जा रहा है।

जोकि शान चक गेटौर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित निजी आतेदारी भूमि खसरा नम्बर 175, 178, 179 एवं 180 स्थित है, जिसमें सुप हाउसिंग का भूखण्ड स्थित है, जिसका क्षेत्रफल दो सर्तों में विभक्त है जिसमें पार्ट ए का क्षेत्रफल 10954.00 वर्गमीटर एवं पार्ट बी का क्षेत्रफल 558.00 वर्गमीटर है तथा दोनों भागों को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्गमीटर है। इस सम्पत्ति सुप हाउसिंग भूखण्ड में पार्ट ए की चारों सीमाओं में पूर्व की ओर अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम की ओर अन्य की सम्पत्ति, उत्तर की ओर अन्य की सम्पत्ति तथा दक्षिण की ओर अन्य की सम्पत्ति एवं सैक्टर रोड 60 फीट की स्थित है। पार्ट-बी की चारों सीमाओं में पूर्व की ओर अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम की ओर प्लाट की त्रिभुजी सीमा, उत्तर की ओर सैक्टर रोड 60 फीट चौड़ी तथा दक्षिण की ओर अन्य की सम्पत्ति स्थित है।

जोकि उक्त वर्णित सम्पत्ति सुप हाउसिंग भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्गमीटर ग्राम चक गेटौर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की खसरा नम्बर 175, 178, 179 एवं 180 की भूमि में स्थित है। जिस सुप हाउसिंग भूखण्ड का पट्टा विलेख (लीज डीड) जारेबे आरंजन/विप्राय वत्र संख्या 15039/2012 दिनांक 30 जनवरी 2012 को रिद्धि सिद्धी रुद्रा प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० (कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी) कार्यालय 201, उज्जवल अपार्टमेंट्स, 4, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर के नाम पर पंजीकृत द्वितीयपक्ष जयपुर किया गया, जिस पट्टा विलेख का पंजीवन उम पंजीकृत जयपुर धतुरा के यहां पर क्रम संख्या 2012398000408, पुस्तक संख्या 1, जिल्द

1 पंजीकृत
जयपुर

For ORV Developers
Attested Signature

For ORV Developers
Attested Signature

For ARG CG Developers LLP

Designated Partner

संख्या 250 के पृष्ठ संख्या 118 पर दिनांक 2 फरवरी 2012 को हुआ है।

यह कि इसके पश्चात् उक्त सम्पूर्ण गुप हाउसिंग भूखण्ड को प्रथमपक्ष ने जरिये विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 10 जून 2013 के नैसर्गिक सिद्धि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० से खरीद कर लिया, जिस विक्रय पत्र को पंजीयन उप पंजीयक जयपुर द्वितीय के यहां पर क्रम संख्या 2013052007251, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 847 के पृष्ठ संख्या 10 पर दिनांक 10 जून 2013 को हुआ है।

इस प्रकार से उक्त प्रथमपक्ष उक्त वर्णित सम्पूर्ण गुप हाउसिंग अमान्तरित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्गमीटर स्थित खसरा नम्बर 175, 178, 179 एवं 180, ग्राम चक गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, काबिज, रवाजी व अधिकारी है, तथा जिस भूखण्ड को हर प्रकार से रहन, विक्रय, बखशीश व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्ताधिकार गालिकाना प्रथमपक्ष को प्राप्त है तथा प्रथमपक्ष ने उक्त भूखण्ड को आज की दिनांक को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा संस्था को रहन, विक्रय, बखशीश व हस्तान्तरित आदि नहीं किया है जो हर प्रकार के ऋणभार, झगड़े-टक्के, वाद-विवाद आदि से पूर्णतया मुक्त पाक व साफ है।

यह कि प्रथमपक्ष को अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपसों की आवश्यकता होने के कारण प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण गुप हाउसिंग भूखण्ड स्थित खसरा नम्बर 175, 178, 179 एवं 180 ग्राम चक गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जो गुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ अमान्तरित एवं अनुमोदित है, जिसका पार्ट ए का कुल क्षेत्रफल 10954.00 वर्गमीटर एवं पार्ट बी का कुल क्षेत्रफल 550.00 वर्गमीटर है, तथा दोनों को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्गमीटर जिस भूखण्ड को ठीक प्रकार से समझने के लिये इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दिखाया गया है तथा जो मानचित्र इस विक्रय पत्र का ही एक अभिन्न हिस्सा

पंजीयक द्वितीय
जयपुर

For ORV Developers
Authorized Signatory

For ORV Developers
Authorized Signatory

For ARG CG Developers LLP

Designated Partner



सर्वेक्षण विभाग
जयपुर

(201502000213) जयपुर, जयपुर-11
Sole Deed (Conveyance deed)

सर्वेक्षण विभाग
जयपुर

(201502000213) जयपुर, जयपुर-11
Sole Deed (Conveyance deed)

सर्वेक्षण विभाग
जयपुर



स्टेगा को गय उसमें निर्मित बाउन्ड्रीवाल, लगे हुये बोरिंग, बिजली के कनेक्शन, डिपोजिट सिक्कुरिटी राशियाँ आदि सहित के गय उसके वृद्ध स्वतंत्र व अधिकांश सहित बिना रखे किसी प्रकार का कोई हक व अंश के वृद्ध मुचलिंग राशि 11,25,00,000/- रुपये अक्षरे ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख रुपये के बदले में द्वितीयपक्ष को कर्तई विक्रय कर दिया है। मूल्यधन की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्न प्रकार से प्राप्त करली है :-

क्रम सं.	बैंक/आर्टीजीएस नगर	दिनांक	राशि (रुपये)	बैंक
1.	RTGS	01.08.2014	1,00,00,000/-	यूको बैंक
2.	RTGS	13.11.2014	25,00,000/-	यूको बैंक
3.	RTGS	29.12.2014	3,00,00,000/-	यूको बैंक
4.	RTGS	30.12.2014	40,00,000/-	यूको बैंक
5.	386428	15.01.2015	1,00,00,000/-	यूको बैंक
6.	386429	15.01.2015	1,00,00,000/-	यूको बैंक
7.	386430	15.01.2015	1,00,00,000/-	यूको बैंक
8.	386431	15.01.2015	1,00,00,000/-	यूको बैंक
9.	386432	15.01.2015	1,00,00,000/-	यूको बैंक
10.	386433	15.01.2015	1,00,00,000/-	यूको बैंक
11.	386434	15.01.2015	48,75,000/-	यूको बैंक
	TDS deducted UNDER section of 194-IA of I.T. Act		11,25,000/-	

कुल योग रुपये 11,25,00,000/- (ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

इस प्रकार से प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से उक्तानुसार विक्रय मूल्यधन की राशि प्राप्त करली है, तथा उक्त प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से विक्रय मूल्यधन की राशि में से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

यह कि विक्रय किये गये सम्पूर्ण भूखण्ड या खाली का भारतीय

For ORV Developers
Authorized Signatory
उप पंजीयक द्वितीय
नगर

For ORV Developers
Authorized Signatory

For ARG CG Developers LLP

Designated Partner

कब्जा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को मीचे पर संभला दिया है, जो कब्जा आज से द्वितीयपक्ष का हो गया है, अब द्वितीयपक्ष उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड के एकमात्र मालिक, कानिज, स्वामी व अधिकारी हो गये हैं व रहेंगे। अब द्वितीयपक्ष बहिर्धित मालिक जिस प्रकार से भी चाहे उक्त भूखण्ड को अपने उपयोग एवं उपभोग में लेवे, उसमें उल्लिखित कार्यवाहियां करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, जयपुर विकास प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करावे, निर्माण कार्य करावे, स्वयं उपयोग उपभोग में लेवे तथा हर प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश एवं हस्तान्तरित आदि कार्य कर सके। अब इस विक्रय किये गये भूखण्ड से प्रथमपक्ष का कोई भी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, रवानापत्रों, पारिशानों आदि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है व या ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय किये गये भूखण्ड के बाबत आज से भूखण्ड की किसी प्रकार का कोई ऋणभार, दण्ड, वाद विवाद आदि सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या जन साधारण का बकाया निकलेगा, अगर कोई व्यक्ति, बैंक या संस्था आदि इस विक्रय के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति करेंगे या प्रथमपक्ष के मालिकाना अधिकारों में किसी प्रकार की चुट्टि निकलेगी जिससे द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की क्षति होगी तो उन सभी का निपटारा, निस्तारण एवं अदायगी प्रथमपक्ष अपने स्वयं के पास से करेंगे।

यह कि उक्त भूखण्ड के बाबत आज तक जो भी हक व अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वे सभी हक व अधिकार आज से द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये हैं व रहेंगे।

यह कि इस विग्रह पत्र के पंजीयन का समस्त कार्य द्वितीयपक्ष के जिम्मे तय हुआ था और द्वितीयपक्ष ने अपने पास से ही यहन किया है।

यह कि उक्त भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को संभला दिये हैं। अब द्वितीयपक्ष को यह पूर्ण अधिकार है कि वे उक्त भूखण्ड को जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य संबंधित रेकार्ड सरकारी, अर्द्ध-सरकारी आदि में अपने नाम से हस्तान्तरित करा लेवे, इसमें प्रथमपक्ष को हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष सदैव सहयोग

314 पंजीयक द्वितीय
जयपुर
For ORV Developers
Authorized Signatory

For ORV Developers
Authorized Signatory
For ARG CG Developers LLP
Downtown Partner

करेंगे।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष के स्वस्थ चित्त तथा स्विचबुद्धि की अवस्था में बिना किसी जोर व जबर के स्वैच्छ से एक किता रसाम्प कीमती 58,11,300/- रुपये व पांच किता पाई पेपर पर टाड़प करवा कर व बाद टाड़प तमाम इबारत को भली प्रकार ले मढ़, सुन व समझ कर दिम्न गणालाल की उपस्थिति में इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे। इति। दिनांक 7/1/2015

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

For ORV Developers

(ओम माहेश्वरी)

Authorised Signatory

राष्ट्रिय रक्षण और आर.वी.डवलपर्स

पेन : AADFO 5036 H

For ORV Developers

(सिद्धेश्वर सिंह) Signatory

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता :

For ARG OG Developers LLP

(आत्माराम गुप्ता)

Designated Partner

साझेदार एआरजी सीजी डवलपर्स एलएलपी

पेन :

ABAF 2696 K

गवाह: *Sunder*

Sunder
समस्त 342, नाना

गवाह:

Kaushal
Kaushal Gupta
S. S. Gupta
10/42, Vidyadhar Nagar
Jaipur

हस्ताक्षर बाई : -

(श्रीकांत शर्मा) ला. नं. 3/97,

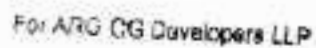
नीति पत्र लेखक, जिलाधीश कार्यालय, जयपुर।

फोन नं० 2292729 व 9829013674

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर



⊕ 1/2



Designated Partner

For ORY Developers

Authorized signatory

For ORV Developers

Authorized Signatory



(201505200023) Sale (and Conveyance) of Real Estate in Cook County, Illinois

Printed Name: [REDACTED]
Printed Address: [REDACTED]
Printed City: [REDACTED]
Printed State: [REDACTED]
Printed Zip: [REDACTED]
Printed Date: 7/1/2013
Printed Time: 1:00 PM

③

15

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्र/जोन-9/2014/डी-468।

दिनांक: - 16/9/14

मैसर्स ओ.आर.वी.उपलवर्स,
जरिये पार्टनर श्री ओम माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री जी.सी. माहेश्वरी
एवं श्री विजय कोडिया पुत्र श्री मोती चन्द्र कोडिया,
निवासी उपासना टॉवर, प्लॉट नम्बर बी-70,
राजेन्द्र मार्ग, बागू नगर, जयपुर

विषय:-ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 175, 178, 179, 180 (निजी खातेदारी) जारी एकल पट्टा का नाम हस्तान्तरण करने बाबत।

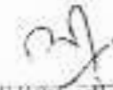
सन्दर्भ:-नागरिक सेवा केन्द्र क्रमांक 183876 दिनांक 16.12.13 के क्रम में।

माहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति के आधार पर ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के एकल पट्टा खसरा नम्बर 175, 178, 179, 180 (निजी खातेदारी) का हस्तान्तरण अन्य के अधिकारों को प्रभावित किये बिना उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर आपके नाम स्वीकार किया जाता है, जिन नियमों एवं शर्तों पर उक्त भूखण्ड का आवंटन मैसर्स रिट्टी सिट्टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक मेवाडा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मेवाडा को किया गया था। भूखण्ड का पार्ट ए क्षेत्रफल - 10954.00 वर्ग मी. + पार्ट बी क्षेत्रफल 558.00 वर्ग मी. कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्ग मीटर है।

उपरोक्त हस्तान्तरण केवल प्राधिकरण द्वारा मान्यित अनुमोदित करने एवं जण इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के रिकॉर्ड में इन्प्राज किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण स्वामि नियमों के अन्तर्गत निर्मित भूखण्ड के सैटबैक इत्यादि में दिये गये अनाधिकृत निर्माण को लिये नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा, तथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा जो नियमों के अन्वया है।

यदि ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के एकल पट्टा खसरा नम्बर 175, 178, 179, 180 पार्ट ए क्षेत्रफल - 10954.00 वर्ग मी. + पार्ट बी क्षेत्रफल 558.00 वर्ग मी. कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्ग मीटर (निजी खातेदारी) के प्रति भविष्य में कोई बकाया राशि निकलती है तो अब आप स्वयं जमा करायेगे।


उपायुक्त जोन-9
व्यवस्थापक एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन - 9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

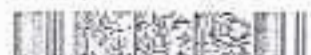


Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECRETARY

ERJ Unique ID: 20160118090450085 Receipt Date: 26-OCT-2016 13:56
S.E. Location: JAIPUR IX
Receipt No: RJ18090450085
Name Of Seller: JWA
Name Of Buyer: ARB OR DEVELOPERS LLP
Type of Document: Article 24 Supplementary Deed / Correction Deed
A-20 Reference: SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/JAIPUR IX

Paid Fees			
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 200	CSI	₹ 200
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 400	Service Charges	₹ 10
Grand Total	₹ 410		
(Rupees Four Hundred Ten Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilstamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



आज दिनांक 17/11/11 के निष्पत्ति, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम चकभेटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 178, 179, 180, 175 पार्ट ए क्षेत्रफल 10954 वर्ग मी. एवं पार्ट बी क्षेत्रफल 558 वर्ग मी. की लीजडीड कार्यालय के पत्रांक डी-15039 दिनांक 30.01.2012 को मेरार रिडी-रिडी इन्फा प्रोजेक्ट जालि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक मेवाड़ा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मेवाड़ा निवासी 21/193, कादरी पथ, मानसरोवर, जयपुर को जारी की गई थी।

मेरार रिडी-रिडी इन्फा प्रोजेक्ट जालि जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक मेवाड़ा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मेवाड़ा द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.6.2013 से मेरार ओ.आर.वी. डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री ओम माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री जी.सी. माहेश्वरी एवं श्री विजय कंदिया पुत्र श्री गोती चन्द कंदिया को किये जाने के परिणामस्वरूप कार्यालय के पत्रांक डी-4681 दिनांक 18.9.14 से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात मेरार ओ.आर.वी. डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री ओम माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री जी.सी. माहेश्वरी एवं श्री विजय कंदिया पुत्र श्री गोती चन्द कंदिया द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.1.15 से मेरार एजलसी लीजी डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये अधिकृत साझेदार श्री आत्माराम मुत्ता पुत्र स्व. श्री एल.आर. मुत्ता को किये जाने के परिणामस्वरूप कार्यालय के पत्रांक डी 348 दिनांक 10.11.15 से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया।

उक्त भूमि के जारी साईट प्लान में मूखण्ड के निर्धारित अग्र सैट बैक 18 मीटर अंकित कर जारी किया गया था जिस पर प्रकरण में आयुक्त जयिष्ठा द्वारा इसमें संशोधन की स्वीकृति दिनांक 28.06.2012 को प्रदान की गयी। इसी स्वीकृति के क्रम में अग्र सैट बैक 18 मीटर के स्थान पर 15 मीटर अंकित किया जाता है। अतः ग्राम चकभेटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 178, 179, 180, 175 पार्ट ए क्षेत्रफल 10954 वर्ग मी. एवं पार्ट बी क्षेत्रफल 558 वर्ग मी. का संशोधित साईट प्लान अग्र सैट बैक 15 मीटर अंकित कर जारी किया जाता है एवं अन्य सैट नियमानुसार पूर्ववत् रहेंगे।

उक्त आनिम विक्रय पत्र/लीजडीड उप मंजीयक जयपुर द्वितीय के वही दिनांक 07.01.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 938 के पृ.सं. 40 क्रम संख्या 2015052000177 पर पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3737 के पृ.सं. 530 से 542 पर प्रस्था किया गया। अतः उक्त संशोधित लीजडीड पंजीबद्ध करने का श्रम कराये। उक्त जारी संशोधित लीजडीड पूर्ण में जारी लीजडीड का अगिन्न अंग होगी। संलग्न ग्राम चकभेटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 178, 179, 180, 175 पार्ट ए क्षेत्रफल 10954 वर्ग मी. एवं पार्ट बी क्षेत्रफल 558 वर्ग मी. के संशोधित साईट प्लान की प्रति।

17/11/2011

सहायक
जयपुर नगर

उपायुक्त जी-9
जयपुर एवं जयपुर संयोजक
खोन - 9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



RECEIVED
JAN 15 1958
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.
106-1251-12

Presentation Endorsement

आज दिनांक 26 माह 10 सन् 2016 को 01:30 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री ARG CG DEVELOPERS LLP AUTH SIGN VISHNU
KUMAR DHAMANI पुत्र/पुत्री/पति श्री H P DHAMANI
उप 37 वधे, काति MAHAJAN, व्यवसाय Service
निवासी House No.: E 52, Colony: CHITVANJAN MARG, Area: C
SCHEME, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State:
RAJASTHAN
ने पेश सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता
201601182004008

Supplementary Deed/Correction Deed

हस्ताक्षर उप पंजीयन,
JAIPUR-IX

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602182005424
दिनांक	26-10-2016
पंजीयन शुल्क ₹	200
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठान शुल्क ₹	200
वस्तु शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी गारंटी शुल्क ₹	0
कुल योग	900

201601182004008

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयन, JAIPUR-IX

हस्ताक्षर उप पंजीयन,
JAIPUR-IX

Registration Endorsement

સાર તારીખ 26/10/2016 ની

ગરબ નામની 1 લાક્ષણિકતા 27 થી

જે નામની 156 નામ નામની 201603182103576 ના નામની નામની નામની

નામની નામની નામની 1 લાક્ષણિકતા નામની 108 થી

જે નામની 75 થી 89 ના નામની નામની નામની

201601182004008

Supplementary Deed/Correction Deed

સાર તારીખ, JALPUR-IX

સાર તારીખ, JALPUR-IX

REVISED SITE PLAN OF KHASRA NO. 178, 179, 180, 177
VILLAGE:- CHAK GATOR, TEHSIL:- SANDANER, JAIPUR.

AREA:- PART-A:- 10954.0 SQ.M. (FOR GROUP HOUSING)
PART-B:- 558.0 SQ.M.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS 2010 & 2012
SCALE: 1:1000

REVISED PARAMETER'S AS PER PARA 210(N):-

MAXIMUM BUILT UP AREA:- 35%

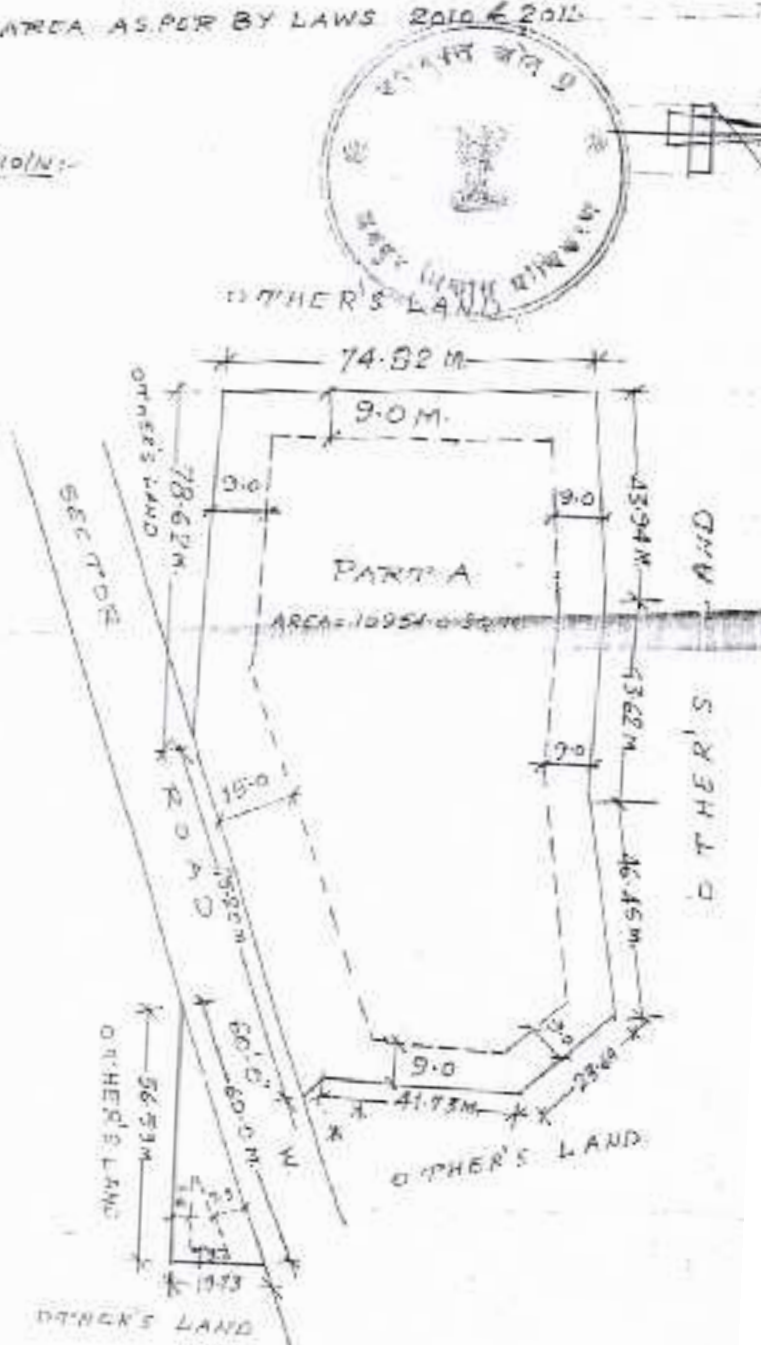
MAXIMUM HEIGHT:- AS PER BY LAWS B II

STANDARD F.A.R:- 133

MAXIMUM F.F.A.R:- 2.25 (WITH CHARGES)
रेट:-

उपरोक्त संशोधित पैरामीटर का अनुमोदन
वेरा 215/IV पर शीघ्र अनुमति प्रदान करा
दि. 26-06-18 को किया गया है।

1. सेक्टर नोट एन्साइनेर में परिकल्पित
शर्तों को मान्य होगा।
2. गृहस्थों पर से गुजर रही विद्युत
लाइन शीघ्र उखाड़ा लाने से शर्तों को
मान्य होगा।
3. गल्ले/बल्ला का अनुमोदन वेरा 117/IV
पर शीघ्र अनुमति प्रदान कराया है।



SITE ENGINEER

JUNE-18

A.T.F.
JUNE-18

GROUP ENGINEER

JUNE-18



Registration Endorsement

आत दिनांक 26/10/2016 में

पुनः प्राप्त 1 दिनांक 27 में

— 18 वॉल 156 का क्षेत्र 201603182103576 पर दीर्घकालीन रूप से

अतिरिक्त प्राप्त क्षेत्र 1 दिनांक 108 में

18 वॉल 75 में 89 पर प्राप्त क्षेत्र 1

201601182004009

Supplementary Deed/Correction Deed

आत दिनांक 26/10/2016 में

पुनः प्राप्त 1 दिनांक 27 में

— 18 वॉल 156 का क्षेत्र 201603182103576 पर दीर्घकालीन रूप से

अतिरिक्त प्राप्त क्षेत्र 1 दिनांक 108 में

18 वॉल 75 में 89 पर प्राप्त क्षेत्र 1

201601182004009

Supplementary Deed/Correction Deed

आत दिनांक 26/10/2016 में

पुनः प्राप्त 1 दिनांक 27 में

— 18 वॉल 156 का क्षेत्र 201603182103576 पर दीर्घकालीन रूप से

अतिरिक्त प्राप्त क्षेत्र 1 दिनांक 108 में

18 वॉल 75 में 89 पर प्राप्त क्षेत्र 1

201601182004009

Supplementary Deed/Correction Deed

आत दिनांक 26/10/2016 में

पुनः प्राप्त 1 दिनांक 27 में

— 18 वॉल 156 का क्षेत्र 201603182103576 पर दीर्घकालीन रूप से

अतिरिक्त प्राप्त क्षेत्र 1 दिनांक 108 में

18 वॉल 75 में 89 पर प्राप्त क्षेत्र 1

201601182004009

Supplementary Deed/Correction Deed

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2015/डी- 346

दिनांक: 10/11/15

मैसर्स एआरजी सीजी डबलपर्स एल.एल.पी.,
जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री विष्णु कुमार धामाणी,
निवासी ई-52, चितरंजन मार्ग, सी स्क्रीम,
जयपुर

विषय-ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 175, 178, 179, 180 (निजी खातेदारी) जारी
एकल पट्टा का नाम हस्तान्तरण करने बाबत।

सन्दर्भ-गागरिक सेवा केन्द्र क्रमांक 225210 दिनांक 22.9.15 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम चक गैटोर तहसील
सांगानेर के एकल पट्टा खसरा नम्बर 175, 178, 179, 180 (निजी खातेदारी) का हस्तान्तरण अन्य के
अधिकारों को प्रभावित किये बिना उन्ही नियमों एवं शर्तों पर आपके नाम रबीकार किया जाता है, जिन नियमों एवं
शर्तों पर उक्त भूखण्ड का आवंटन मैसर्स रिद्धी सिद्धी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक
मेवाड़ा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मेवाड़ा को किया गया था तत्पश्चात् मैसर्स रिद्धी सिद्धी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. जरिये
अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक मेवाड़ा द्वारा उक्त भूखण्ड का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के आधार उक्त भूखण्ड का
बेचान मैसर्स ओ.आर.वी.डबलपर्स, जरिये पार्टनर श्री ओम माहेश्वरी पुत्र स्म. श्री जी.सी. माहेश्वरी एवं श्री विजय
कोडिया पुत्र श्री गोती चन्द कोडिया को किया गया है तत्पश्चात् मैसर्स ओ.आर.वी.डबलपर्स, जरिये पार्टनर श्री ओम
माहेश्वरी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान मैसर्स एआरजी सीजी डबलपर्स एल.एल.पी. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री
विष्णु कुमार धामाणी को किया गया है। भूखण्ड का पार्ट ए क्षेत्रफल - 10954.00 वर्ग मी. + पार्ट बी क्षेत्रफल
558.00 वर्ग मी. कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्ग मीटर है।

उपरोक्त हस्तान्तरण केवल प्राधिकरण द्वारा गान्धिविज अनुमोदित करने एवं ऋण इत्यादि प्राप्त करने के
लिए प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण सक्षम नियमों के अन्तर्गत निर्मित
भूखण्ड के सैटवैक इत्यादि में किये गये अनाधिकृत निर्माण के लिये नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये पूर्ण रूप
से स्वतन्त्र होगा, तथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा जो नियमों के
अन्वय में हो।

यदि ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के एकल पट्टा खसरा नम्बर 175, 178, 179, 180 पार्ट ए
क्षेत्रफल - 10954.00 वर्ग मी. + पार्ट बी क्षेत्रफल 558.00 वर्ग मी. कुल क्षेत्रफल 11512.00 वर्ग मीटर (निजी खातेदारी)
के प्रति गतिविधि में कोई बकाया राशि निकलती है तो अब आप स्वयं जमा करावेंगे।


उपायुक्त जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर - 3
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्र./स.स./पी.पी.सी.(बीपी)/2017/सी-653

दिनांक- 07/4/2017

श्री विष्णु कुमार धामणी,
अधिकृत प्रतिनिधि,
मैसर्स एआरजी सीजी डवलपर्स एल.एल.पी.
ई-52, वितरंजन मार्ग, सी-स्कॉम, जयपुर।

विषय:- ससरा नम्बर 175, 176, 179 व 180, ग्राम-चक गैटोर, तहसील- सागानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संबंधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2016 के संदर्भ में जो प्रस्ताव ससरा नम्बर 175, 176, 179 व 180, ग्राम-चक गैटोर, तहसील- सागानेर, जयपुर में स्थित गृहखण्ड (प्लॉट ए - 10954 वर्ग. + प्लॉट बी - 558 वर्ग. कुल क्षेत्रफल = 11512 वर्गमीटर) के स्टिच + 28.10 सी = 28.80 मीटर (स्टिच + 09 फीट) लंबाई के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संबंधित मानचित्र भवन मानचित्र रजिस्ट्रार (बी.पी) की 107वीं बैठक दिनांक 26.10.2016 में प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र रजिस्ट्रार (बी.पी) की 107वीं बैठक दिनांक 26.10.2016 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जा रही है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह (मासतीय विनियमन प्राधिकरण की अनापत्ति कनांक AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2016/11/82.85 दिनांक 29.01.2016 के अनुसार) दिनांक 29.01.2021 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का उत्खनन (डियोरिंग) नहीं किया जाएगा।
3. गृहखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविश्व का कर्तव्य होगा कि जो वह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उत्खनन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थों को किसी भी प्रकार की सविपूर्ति का दायर नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 10.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पत्र मौके पर लगाया जावेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व भवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जावेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन-09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिनम लेवल एक का निर्माण पूर्ण होने को सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 09 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माण द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति से कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, राशन अधिकारी तथा नगर नुमि (अविवरण सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
9. दस्तावे एवं डिजिटल इस प्रकार लगाए जायेंगे कि जो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।
10. स्वामी प्रादेक संजित के लिए स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द करी जावेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविश्व के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवावेगा जिसमें संकेत में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविश्व को बदला जाता है तो इसके सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के सम्मचार-पत्र में एक राप्ताह में प्रकाशित करने होंगे तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।
15. आदेशक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.5 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
16. भवन परिसर में ही अनुमोदकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का कोई लगवाया जावे।
17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. अग्निशमन दृष्टि से, सभ्य अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन बंध (Fire Extinguisher) रखे जायें तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।

19. निर्माण काल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सुचना एवं भवन में सुल्ला एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से दिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक कौमर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त कौमर टेकर को मोबाइल नंबर एवं Land Line Number भी सिले जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अप्पेक्षित अधिकारता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "सबसे लम्बे पर प्राप्त की गई अथवा लम्बे की सुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र की अनुपालना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
24. प्रसंगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लड़ता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लड़ता है अथवा विपरीत निर्दिष्ट है तो मानचित्र काल ही निरस्त समझे जायेंगे।
25. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बौर्ड पर सम्पूर्ण ध्यान सहित जो पटनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमीदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के गडनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण को दौरान जारी और पई लगवाये जायें।
27. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.04.2017 के सामान्य शर्त के बिन्दु संख्या 4ए के अनुसार EWS/LIG की इकाईयों के निर्माण कार्य के लिए मानचित्र जारी होने के दिनांक से अधिकतम 2 वर्ष की सीमा होगी।
28. उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 4ई के अनुसार यदि विकासकर्ता निर्धारित अगति में EWS/LIG इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं करता है तो निम्नानुसार शासित देय होगी:-

प्रथम तीन माह -	5000/- रुपये- Per Unit
अगले तीन माह -	10,000/- रुपये- Per Unit
अगले छ माह -	20,000/- रुपये- Per Unit

यदि अतिरिक्त 12 माह में भी EWS/LIG इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है तो विकासकर्ता के विरुद्ध भवन विनियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (08 मानचित्र)

महदीप 

(नौरज तियाड़ी)

हरिष्ट नगर नियोजक एवं

सदस्य समिति

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य निदेशक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपपुस्त, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उप नगर नियोजक-बीपीसी (बी.पी.), जयपुरा, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन जगन्नाथ, जयपुर को सूचनाई प्रेषित है।
6. मुख्य अभियंता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेलवे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनाई प्रेषित है।

(नौरज तियाड़ी)

हरिष्ट नगर नियोजक एवं

सदस्य समिति

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

